

Name – Dr. Manoj Kumar Singh
Assistant Professor (Guest Faculty)

Class – B. A, part-3
Department of History
B. N College, Patna University, Patna

असहयोग आंदोलन 1920-1922

असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि 1918 से ही बनने लगी थी जिसका प्रमुख कारण था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा पंजाब में की जा रही सरकार के द्वारा दमनात्मक कार्यवाही।

गाँधीजी 22 सितंबर 1919 से ही इस संदर्भ में अपने समाचार पत्र 'यंग इंडिया' में लिखने लगे थे उन्होंने असहयोग आंदोलन के द्वारा 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने का वादा किया। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में होने वाली खिलाफत कमेटी में मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय तथा सी० आर० दास के विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए गाँधीजी की अध्यक्षता में एक उप समिति भी बनाई गई तथा इस आंदोलन पर विचार-विमर्श करने के लिए कांग्रेस की विशेष अधिवेशन सितंबर के महीने में 1920 में हुई यद्यपि इसके पूर्व ही 1 अगस्त 1920 को गाँधी जी ने असहयोग आंदोलन आरम्भ कर दिया, जिसकी घोषणा उन्होंने 28 जुलाई को कर दी थी। 1 अगस्त 1920 से आरंभ होने वाला असहयोग आंदोलन उपवास एवं प्रार्थना के साथ प्रारंभ हुआ। गाँधी जी ने वायसराय को अपने लिखे पत्र में कहा की "सम्राट की सरकार ने खिलाफत के मामले में कपट तथा अनैतिक और अन्याय पूर्ण कार्य किया है ऐसी सरकार के लिए मेरे मन में न ही आदर रह गया है और ना ही सम्मान और सत्कार महात्मा गाँधी जी के शब्द"। इस पत्र के साथ ही केसर-ए-हिंद, जुलूह पद सहित अपने सभी सम्मानित पद ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया।

कोलकाता के विशेष अधिवेशन में जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, सी० आर० दास, मदन मोहन मालवीय इत्यादि के द्वारा गाँधीजी के असहयोग संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया गया। इसके बावजूद गाँधीजी ने अपने प्रभाव के बल से प्रस्ताव को पास करवा लिया। मोतीलाल नेहरू ने वर्किंग कमेटी की बैठक में गाँधीजी के प्रस्ताव का विरोध किया था परंतु इस अधिवेशन में गाँधी जी के पक्ष में खड़े हो गए। इस अधिवेशन में - उपाधियों को त्यागने, तिहरे बहिष्कार (विद्यालय, न्यायालय और कौंसिल) से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रीय विद्यालयों, न्यायालयों की स्थापना तथा खादी को प्रोत्साहन देने संबंधी भी प्रस्ताव पारित किया गया लेकिन सरकारी सेवाओं, पुलिस और सेना से त्यागपत्र देने और करों के न अदायगी के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया।।

1 अगस्त 1920 को जिस दिन यह आंदोलन प्रारंभ किया जाना था उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई अतः तिलक के नाम से एक करोड़ कोष से तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गयी। परंतु आंदोलन को समाप्त नहीं किया गया।

इस आंदोलन के मुख्य तीन लक्ष्य थे -

- सरकार को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकना।
- सरकार द्वारा किए जा रहे पंजाब में अत्याचार को रोकना।
- स्वशासन की मांग करना।

हम इस पूरे आंदोलन को चार चरण में आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं

प्रथम चरण- अगस्त 1920 से मार्च 1921 तक

इसमें गाँधी जी और अली बंधुओं ने राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया। इनका आग्रह था कि विद्यार्थी सरकारी स्कूल छोड़ दें, वकील अदालत छोड़ दें, उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग किया जाए सरकारी समारोहों और दरबारों का बहिष्कार किया जाए सरकारी न्यायालयों और चुनाव का बहिष्कार हो तथा राष्ट्रीय विद्यालय एवं पंचायत का गठन किया जाए। इस चरण में बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं को जलाया गया तथा ताड़ी के दुकानों पर धरना दिया गया। सी० आर० दास, मोतीलाल नेहरू, एमआर जैकप, सरदार पटेल जैसे अन्य कई लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी।

द्वितीय चरण- मार्च 1921 से जुलाई 1921 तक

इस चरण में आंदोलन का पूरा बल कोष इकट्ठा करने और सदस्य बनाने तक रहा। 30 जून तक तिलक स्वराज्य कोष में निर्धारित राशि 1 करोड़ से अधिक एकत्रित कर ली गई परंतु निर्धारित एवं स्वयंसेवकों की संख्या पूरी नहीं की जा सकी, एक करोड़ की जगह मात्र 5000000 स्वयं सेवक भर्ती हो सके यद्यपि 2000000 चरखा बांटने का उद्देश्य पूरा हो गया।

तृतीय चरण - जुलाई 1921 से नवंबर 1921 तक

इस चरण में आंदोलन ने अधिक उग्र रूप अपनाया। इस चरण में विदेशी कपड़े तथा प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार हुआ, प्रांतीय समितियों को नागरिक अवज्ञा करने की अनुमति दी गई। गाँधी जी ने स्वयंसेवकों से जेल भरने का आह्वान किया।

चतुर्थ चरण - नवंबर 1921 से फरवरी 1922

इस दौरान सरकार ने व्यापक दमन का सहारा लिया गाँधी जी को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया तथा गाँधीजी ने बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया।

कांग्रेस अधिवेशन में रूपरेखा क्या बन रही थी ?

असहयोग आंदोलन चलाने की पुष्टि कांग्रेस ने अपना विशेष अधिवेशन कोलकाता 1920 में की जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे परंतु इसे पूर्ण स्वीकृति कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन नागपुर में दी गई जिसकी अध्यक्षता वी० राघवाचारी कर रहे थे। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का विरोध केवल मोहम्मद अली जिन्ना तथा मदन मालवीय के द्वारा किया गया। सी०आर०दास जिन्होंने विशेष अधिवेशन में इस प्रस्ताव का विरोध किया था असहयोग आंदोलन का विरोध करने के लिए ₹36000 खर्च करके बंगाल से एक विरोधी प्रतिनिधिमंडल लेकर के आए थे परंतु यहां सी०आर० दास का नाटकीय परिवर्तन हुआ। यहां उन्होंने स्वयं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जो भारी बहुमत से पारित हो गया, इसी अधिवेशन में गाँधी जी ने सी० आर० दास को 'देशबंधु' की उपाधि दी। नागपुर का यह अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक संख्या वाला अधिवेशन था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का पुनर्निर्माण किया गया। कांग्रेस की समस्त शक्ति 15 सदस्य कार्यकारिणी में निहित कर दी गई तथा कांग्रेस के आधार को विस्तारित करने के लिए सदस्यता शुल्क घटाकर चार आने कर दिया गया। प्रांतीय कमेटी का गठन भाषा के आधार पर किए जाने की छूट मिली। वस्तुतः 1919 के अमृतसर अधिवेशन में ही कांग्रेस के संविधान के पुनर्निर्माण हेतु गाँधीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ तथा इसी के द्वारा निर्मित संविधान को 1920 के अधिवेशन में पारित किया गया। भाषाई आधार पर प्रदेशों के पुनर्गठन की मांग, आंध्रा की मांग को अप्रैल 1920 में गाँधीजी ने स्वीकार की और नागपुर के कांग्रेस के संशोधित संविधान में इसे स्थान दिया गया। नागपुर अधिवेशन में ही गाँधी जी ने ब्रिटिश सरकार के भीतर 'स्वशासन' का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित कर दिया।

आंदोलन का प्रसार

यह आंदोलन तेजी से समस्त भागों में फैलने लगा , इस बार आंदोलन का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ यही कारण है कि इस आंदोलन ने अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया । दक्षिण भारत में कर्नाटक ही ऐसा क्षेत्र था जहां इसका प्रभाव न्यूनतम था । आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिराल - पिराल नामक एक छोटे से कस्बे के

15000 लोगों ने नगर पालिका को कर देना अस्वीकार कर दिया तथा नगर को छोड़कर 11 महीनों के लिए रामनगर नामक एक नई बस्ती बसा ली इसका कारण था कि सरकार चिराल- बिराल नगर में एक निगम की स्थापना करना चाहती थी जिससे कि वहां का कर बढ़ जाता ।

इस आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे विश्वविद्यालय खोले गए । अनेक छात्रों ने सरकारी विद्यालय छोड़ दिए तथा जनता के द्वारा बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किए गये यही कारण है कि विदेशी वस्तुओं के आयात में गिरावट आई तथा यह 102 करोड़ से घटकर के 57 करोड़ राजस्व तक आ गया । मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद , सी०आर० दास ने अपनी पत्नी बसंती देवी के साथ कोलकाता में आंदोलन का नेतृत्व किया । सी० आर० दास तथा बसंती देवी के नेतृत्व में पहली बार उत्तम वर्ग के महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है ।

सरकार की दमनकारी नीति

सरकार ने कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया । 10 दिसंबर 1921 को सी०आर० दास को पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया गया । उन्होंने अपने संदेश में कहा –“ मैं अपने कलाइयों पर हथकड़ियों का चुभन तथा शरीर पर बेड़ियों का बोझ महसूस कर रहा हूँ , यह दासता का दर्द है एवं समस्त भारत एक बंदी गृह । कांग्रेस का कार्य रुकना नहीं चाहिए , इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा सी० आर० दास के शब्द” । असहयोग आंदोलन से केरल का मोपला विद्रोह तथा अवध का किसान आंदोलन भी तेजी से जुड़ गया । 24 मार्च 1921 को राजशाही जेल से 669 कैदी जेल तोड़कर के भाग निकले और नारा बुलंद किया कि गाँधीजी का राज्य आ गया है । उसी प्रकार फरवरी 1922 में संथालों ने जलपाईगुड़ी में गाँधी जी की टोपी पहनकर पुलिस पर आक्रमण कर दिया । उनका दावा था कि टोपी पहने से गोलियां उन पर बेअसर रहेंगी । इस प्रकार बंगाल के रंगपुर में भी स्वराज थाना तथा गाँधी दरोगा नियुक्त किए गए ।

सरकार ने इस आंदोलन को प्रारंभ में गंभीरतापूर्वक नहीं लिया तथा इसे वायसराय चेम्सफोर्ड के द्वारा इसे मूर्खतापूर्ण कार्यवाहियों में सबसे बड़ी बेवकूफी कहा परंतु देश के सभी भागों में आंदोलन तेजी से फैलने लगा तो सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ उपाय अपनाए-

1. जो राजनीतिक सरकार का साथ देना चाहते हैं उन्हें सम्मान से लाद करके खुश कर देना।
2. मतभेदों से फायदा उठा कर के उसे बढ़ावा देना।
3. असहयोग आंदोलन कार्यों से सख्ती से निपटना ।

प्रथम नीति के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिंहा को 'लॉर्ड' की उपाधि प्रदान की गई तथा उन्हें उप भारत मंत्री के हैंसियत से हाउस ऑफ लॉर्ड में भारत सुधार अधिनियम 1919 के संचालन का दायित्व सौंपा गया बाद में उनको बिहार एवं उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया । लिबरल फेडरेशन के एक महत्वपूर्ण नेता तेज बहादुर सप्रू को वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्ति की गई । राष्ट्रीय आंदोलन के एक महान नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था अतः सरकार ने उन्हें 'सर' की उपाधि प्रदान की ।

अपनी दूसरी नीति के तहत सरकार ने संप्रदायिक मतभेद को बढ़ावा दिया। यही कारण है कि इस आंदोलन के अंतिम चरण में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें मोपला विद्रोह प्रमुख हैं। सख्ती से निपटने के क्रम में सरकार ने नवंबर 1921 में खिलाफत कमेटी और कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया तथा जनवरी 1922 तक 30000 लोग गिरफ्तार कर लिए गए।

असहयोग आंदोलन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी थी, व्यापारियों का समर्थन भी प्राप्त रहा। 1922 में कांग्रेस के कोष में केवल ₹43000 थे जो 1921 से 23 के बीच बढ़ कर 3000000 रुपए हो गए। यहां तक कि तिलक स्वराज्य कोष के लिए निर्धारित एक करोड़ की राशि भी उस समय समय से पूर्व प्राप्त कर ली गई परंतु अभी भी व्यापारियों का एक वर्ग असहयोग आंदोलन के विरुद्ध था 1920 में पुरुषोत्तम दास, जमुनादास द्वारिका दास, सीतलवाड़ जैसे व्यापारियों ने मिलकर और असहयोगी विरोधी आंदोलन की स्थापना की।

बिहार में रचनात्मक कार्य

बिहार और उड़ीसा में पंचायत व्यवस्था अत्यंत लोकप्रिय रही तथा इनमें आने वालेवादों की संख्या सरकारी न्यायालय से अधिक रही। गाँधी जी ने इस बात के लिए बिहार की प्रशंसा की वहां ठोस कार्यवाही हुई तथा आंदोलन गाँधीवादी तरीके से चल रहा था।

मुंशी प्रेमचंद ने गोरखपुर सरकारी विद्यालय से त्यागपत्र दे दिया ताकि वे राष्ट्रवादी पत्रिका अखबार 'आज' तथा 'काशी विद्यापीठ' के लिए कार्य कर सकें। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय आंदोलन में होने वाले परिवर्तन की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। इस काल में लिखे गए उपन्यास 'प्रेमाश्रय' का नायक एक जमींदार है जो गाँधीवादी था जबकि 1925 में लिखी गई 'रंगभूमि' का नायक एक अंधा भिखारी सूरदास है जो अहिंसक संघर्ष करता है जबकि उसके अन्य दो पात्र क्रांतिकारी हैं।

1 फरवरी 1922 को गाँधी जी ने घोषणा की - "यदि 7 दिन के अंदर राजनीतिक बंदी नहीं छोड़े गए एवं समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सहित कर बंदी आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा" परंतु तभी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी-चौरा में पुलिस एवं आंदोलनकारियों में मुठभेड़ हो गई वस्तुतः यहां एक स्वयंसेवी दस्ते अनाज की बढ़ी हुई कीमतें एवं शराब की बिक्री के विरोध में स्थानीय बाजार में धरना दे रहा था तथा भगवान अहीर के नेतृत्व में जब वे जुलूस लेकर थाने से गुजर रहे थे तो पुलिस ने भगवान अहीर की पिटाई कर दी जिससे नाराज होकर के जुलूस ने थाना को आग के हवाले कर दिया जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल करके मर गए। सेशन कोर्ट ने 172 आंदोलनकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जिसमें 19 को फांसी हुई तथा अन्य को देश निकालने की सजा दी गई। यह आश्चर्य का विषय है कि न्यायालय के इस निर्णय पर किसी भी राष्ट्रवादी नेता ने विरोध नहीं जताया जबकि स्वयं गाँधीजी ने इस बात को स्वीकार किया था कि जनता को उकसाने का पहला प्रयास पुलिस ने किया था। केवल एम०एन० रॉय की कम्युनिस्ट पत्रिका 'वैंगार्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल' की कार्यकारिणी द्वारा इसकी आलोचना की गई। यहां तक कि आज भी चौरी-चौरा में स्मारक तो खड़ा है परंतु किसान शहीदों के सम्मान में कोई काम नहीं हुआ।

गाँधीजी का मुख्य बल अहिंसक पर था जिसके कारण इस घटना के बाद उन्होंने कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं के असहमति के बावजूद 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया। 10 मार्च 1922 में गाँधी जी को राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई परंतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण फरवरी 1922 में रिहा कर दिये गये। कूप लैंड महोदय के अनुसार "गाँधीजी ने भारत के इतिहास का रूप ही बदल दिया, उन्होंने वह कर दिया जो तिलक नहीं कर सके। यह आंदोलन केवल शहरी बुद्धिजीवी वर्ग तक नहीं सिमटा बल्कि गांव की आम जनता तक पहुंचा जहां उसने आम जनता में जागृति पैदा कर दी कूप लैंड के शब्द"।

क्या यह आंदोलन असफल रहा ?

असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था कि 1 वर्ष में स्वराज को प्राप्त करना लेकिन यह आंदोलन अपने परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाया बल्कि उस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार गाँधी जी के द्वारा कही गई बात एक तरह से परिणाम की दृष्टि से झूठी साबित हुई और दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा कोई भी रियायत नहीं बरती गई किंतु इस आधार पर आंदोलन को असफल नहीं माना जा सकता है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन एकाएक संभव नहीं हैं। हा, यह आंदोलन असफल अवश्य हुआ परंतु इसके पीछे इसकी कई उपलब्धियां रही। इस आंदोलन ने जनता को एक व्यापक संघर्ष के लिए जोड़ा वस्तुतः आंदोलन समाप्त नहीं हुआ बल्कि एक तरह से स्थगित किया गया जैसा कि गाँधी जी ने 1920 के शुरुआत में ही कहा था कि वह एक निर्णायक संघर्ष है चाहे वह एक महीना या 1 साल या कई साल तक लग सकते हैं।

इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

इस आंदोलन ने यह दिखाया कि देशभर के भारतीयों का एक दूसरे से समर्थन है इस आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। इसमें किसान हो, मजदूर हो, दस्तकार हो, व्यापारियों, बच्चे हो, बुढ़े हो सभी इसमें शामिल थे। इस आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाएं घर के बाहर चौखट से निकली और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन में भागीदारी करती रही। अब तक यह महिलाएं घर के अंदर बैठी हुई थी अब वह पुरुषों के साथ मिलकर इस आंदोलन को और भी मजबूत बना रही थी, वह धरना दे रही हैं, सूत कात रही थी इस तरह से यहां हम देखें तो जो अभी तक जो जनसंख्या जिसकी आबादी आधी थी अब तक वह जितने भी आंदोलन हुए थे उसमें उनकी भागीदारी ना के बराबर थी लेकिन असहयोग आंदोलन में अब एक बहुत बड़ा वर्ग इसमें शामिल हो रहा था। जिससे कि आंदोलन को और आकार बढ़ा और मजबूत हुआ और आगे की प्रत्येक आंदोलन में महिला भागीदारी बढ़ती हुई नजर आती है जिससे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन और मजबूत होता चला जाता है। इस आंदोलन में कांग्रेस जो अब तक उसका आकार केवल शहरों तक सीमित था उसका व्यापक प्रसार गांव तक हुआ तथा अब वह जन कांग्रेस के रूप में बदल गई। इस आंदोलन ने आधुनिक राजनीति से जनता को परिचित करवाया और आजादी की भूख को जगाया और आगे के होने वाले आंदोलन में लड़ने की क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण बातें यह भी हैं कि यह आंदोलन हिंदू और मुसलमानों में एक भाईचारा के लिए जाना जाता है जो कि बाद के वर्षों में एक तरह से सपना हो जाता है। अंग्रेजों के लिए यह एक अबूझ पहेली बन जाता है कि अपने अधिकार पाने के लिए क्या अहिंसात्मक आंदोलन संभव हो सकता है ?।

आंदोलन को वापस लेना

- गाँधी जी के द्वारा यह आंदोलन तब वापस लिया गया जब यह आंदोलन अपने चरम पर था इस बात के लिए गाँधी जी की आलोचना की जाती है लेकिन इसके और भी कारण थे वापस लेने के। 1921 ईस्वी में आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था जनता की भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम होती जा रही थी क्योंकि हर एक आंदोलन की सीमा होती है कोई भी आंदोलन लगातार जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि जनता में दमन, सहन और बलिदान करने की जो शक्ति होती है वह सीमित होती है इसलिए एक समय तब आता है जब व्यक्ति पुनः आगे के आंदोलन को जारी रखने के लिए वह थोड़ा ठहर जाता है और उस समय 1922 तक अभी भारत की जो जनता थी वह अंग्रेजों के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थी कि अंग्रेजों को भगाया जा सके। उस समय अभी अंग्रेज बहुत ही शक्तिशाली थे तथा अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में आंदोलन होने की जो प्रक्रिया अहिंसात्मक रूप से अभी प्रारंभ हो रही थी अभी यह एक शिशु के समान थी अभी अंग्रेज चाहते तो उस समय इस आंदोलन को भलीभांति कुचल सकते थे बाद में लोग आगे से उरते इसलिए गाँधीजी ने इस आंदोलन को प्रारंभ से ही हिंसा से मुक्त रखने का कोशिश किये जिससे कि जनता अपने को फिर से मजबूत करके

आगे की आंदोलन को करने के लिए तैयार रखें क्योंकि यह संघर्ष का परिणाम तुरंत नहीं प्राप्त होने वाला है। इस आंदोलन के बाद भी आजादी प्राप्त करने में 25 वर्ष करीब लग गए।
